

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़  
आदेश पत्रक

परमिशन वाद संख्या - 01/2022

मोतीलाल टोप्पो बनाम् Sri Venkatesh Iron and Alloys India Ltd., Director  
अंकित केडिया

आदेश की क्रम  
संख्या  
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गः  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख

18.07.2023

यह वाद आवेदक मोतीलाल टोप्पो, पिता-स्व० टेका राम उरौव  
उर्फ डेका उरौव, ग्राम+पो०-चैनगडा, थाना-पतरातू, जिला-रामगढ़ बनाम्  
Sri Venkatesh Iron and Alloys India Ltd., Director अंकित केडिया  
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-49 के तहत दायर  
आवेदन पर प्रारंभ किया गया। वाद को अंगीकृत के उपरांत संबंधित अंचल  
अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की।

आवेदक न्यायालय द्वारा निर्धारित विभिन्न तिथियों से लगातार  
अनुपस्थित चले आ रहे है। स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिवक्ता के  
द्वारा भी कई तिथियों से पैरवी नहीं दिया गया है। जिससे प्रतीत होता है  
कि आवेदक को वाद का निस्तार हेतु अभिरूचि नहीं है। अतः दायर वाद  
के प्रति आवेदक का उदासीनता को देखते हुए इस वाद की कार्यवाही  
बिना किसी प्रभावकारी आदेश के समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

शाधवीरिश्वा

18.7.23  
उपायुक्त,

रामगढ़।

शाधवीरिश्वा

18.7.23  
उपायुक्त,

रामगढ़।